>

Title: Need to formulate stringent laws to deal with the persons involved in foeticides under Penal sections applicable to culpable homicides.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण भ्रूण हत्या का विषय सदन के विचाराधीन रखना चाहता हूं। आज भी उस पर काफी बड़ी खबर आई है। सौ करोड़ के हिन्दुस्तान में जहां हमारी राष्ट्रपति एक महिला हैं, हमारी स्पीकर महोदय एक महिला हैं, जहां हमारी सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी की नेता एक महिला हैं, जहां लीडर ऑफ अपोजीशन एक महिला हैं, वहां आज भी अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं कि बच्चे को जन्म देने से पहले ही खत्म कर दिया जाए तो माफ करिएगा, यह बात अच्छी नहीं लगती और न दुनिया में कहीं कोई इसे सराहेगा। कई बार यह मसला उठ चुका है। जब किसी का कत्ल करने वाले पर धारा 302 के अधीन मुकदमा लगता है और जो उसमें शामिल होता है, उस पर भी मुकदमा लगता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आज वक्त है कि सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जिससे लोग डरें। जो लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आज भी अस्पतालों में खुलेआम इसी तरह के काम हो रहे हैं, आपके किसी कानून से कोई डरता नहीं है। इसलिए कोई कानून आप ऐसा बनाएं जिससे इन चीजों को रोका जा सकें और इस पर सख्त कार्रवाई हो और उन लोगों के खिलाफ धारा 302 का मुकदमा लगे और सरकार इसके लिए एक अच्छा कदम उठाए। धन्यवाद।

सभापति महोदय : इस मामले के साथ जो माननीय सदस्य एसोशिएट करना चाह रहे हैं, वे अपना नाम दे दें।

â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सतपाल महाराज, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्री ए.टी.नाना पाटील, श्री धनंजय सिंह, श्री नीरज शेखर, श्री जगदीश सिंह राणा, कुमारी सरोज पाण्डेय और श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला भी श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा उठाये गये मुद्दे के साथ स्वयं को सम्बद्ध करते हैं।